सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–2025 / 594 दर्ज तिथि:–14.08.2025

1. रामकेन पुत्र बांकाराम
   जाति विश्नोई निवासी गोरमाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

................प्रार्थी

बनाम

1. चुनाराम पुत्र बाका
   जाति विश्नोई निवासी गुड़ामालानी
2. तहसीलदार, गुड़ामालानी

..................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:–श्री प्रागाराम बोगराज
अप्रार्थी:– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–30.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1098 रकबा 6.0865 है0 वाके ग्राम मोटी ढाणी पटवार मण्डल गुड़ामालानी एवं खसरा संख्या 290 / 2, 861 / 334 मौजा गोगाजी का थान पटवार हल्का नगर में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 वाके ग्राम मोटीढाणी तहसील गुड़ामालानी एवं जमाबंदी संवत 2074–2077 ग्राम गोगाजी का थान पटवार हल्का नगर में प्रार्थी के नाम का अंकन रामकिशन पुत्र बांका अंकित है। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र एवं बैक डायरी में रामकेन पुत्र बांकाराम दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में भी परिवर्तित नाम रामकेन पुत्र बांकाराम दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम को राजस्व रिकार्ड में रामकेन पुत्र बांकाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:19 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2026/2021 दिनांक 31.01.2026 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का परिवर्तित नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 वाके ग्राम मोटीढाणी तहसील गुड़ामालानी के नवीन खाता संख्या का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (है0)
रामकिशन पुत्र बांका	60 मोटी ढाणी	1098	6.0865

4. प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में रामकेन पुत्र बांकाराम अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
आधार कार्ड	रामकेन पुत्र बांकाराम विश्नोई
बैक डायरी	रामकेन पुत्र बांकाराम विश्नोई
मतदाता फोटो पहचान कार्ड	रामकेन पुत्र बांकाराम
जमाबंदी खाता संख्या 40 मौजा गोगाजी का थान	रामकेन पुत्र बांकाराम

5. प्रकरण में तहसीलदार गुढामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

> *उक्त प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 के अंतर्गत मुताबिक हाल जमाबंदी संवत 2073–2076 वाके ग्राम मोटीढाणी तहसील गुड़ामालानी में हिस्सा 1/2 रामकिशन पुत्र बांकाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि आधार कार्ड, बैक डायरी, मतदाता फोटो पहचान कार्ड में रामकेन पुत्र बांकाराम दर्ज है। अतः आधार कार्ड, बैक डायरी, मतदाता फोटो पहचान कार्ड एवं मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं जानकारी के आधार पर* ***रामकिशन पुत्र बांकाराम के स्थान पर रामकेन पुत्र बांकाराम शुद्ध किया जाना उचित होगा।*** *रामकिशन पुत्र बांकाराम एक ही व्यक्ति है।*

6. उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के बाद पाया गया कि तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का परिवर्तित नाम दर्ज नहीं है एवं 2073–2076 वाके ग्राम मोटीढाणी तहसील गुड़ामालानी प्रार्थी की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:19 IST
Reason: SelfAttested

का विवरण रिकॉर्ड के अनुसार है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में रामकेन पुत्र बांकाराम अंकित है जो बिंदू संख्या–4 में वर्णित है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि तहसीलदार गुड़ामालानी ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी का नाम पूर्व में जमाबंदी में अंकित नाम से प्रार्थी द्वारा अपना नाम परिवर्तित करवाये जाने के कारण रामकिशन पुत्र बांका के स्थान पर रामकेन पुत्र बांकाराम दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

*प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार गुढामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी में नाम **रामकिशन पुत्र बांका** को कलमजन कर उस के स्थान पर **रामकेन पुत्र बांकाराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।*

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:19 IST
Reason: SelfAttested